बिहार विधान-सभा वादवृत

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

बुधवार, तिथि ८ अगस्त, १९७३ ।

विषय-सूची

		पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या :	...	१-११
११८, १२१, १८६, १८८ एवं १९० ।		
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या :	...	११-५६
८८७, १६६१, १६६४, १६६५, १६६६, १६६७, १७०१, १७०२, १७०३, १७०७, १७१०, १७१५, १७१७, १७२२, १७२६, १७२९, १७३२, १७३३, १७४४, १७४६, १७४८, १७५६, १७५७, १७५८, १७६४, १७६६, १७६७, १७६८, १७६९, १८३०, १८३१, १८३२, १८३३, १८३४, १८३५, १८३६ एवं १८४० ।		
परिशिष्ट (प्रश्नोत्तर के लिखित उत्तर)	...	५७-१११
परिशिष्ट-२	...	११२-११३
दैनिक निबंध	...	११५-११६

सड़क का पक्कीकरण

१७०३ । **श्री रामस्वरूप सिंह**—क्या मंत्री, सामु० वि० विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बथनाहा प्रखंड के पंथ पाकर गाँव में पाकर के कुंज को देखने के लिये दूर दूर से तीर्थयात्री और पर्यटक आया करते हैं;

(२) क्या यह बात सही है कि लोक-निर्माण विभाग की सुरसंड सड़क के एक ग्रामीण सड़क टंडसपुर रूपौली के निकट से पंथपाकर की ओर जाती है जिसकी दूरी पाकर के कुंज तक मात्र डेढ़ मील है;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस सड़क को पक्कीकरण करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नरसिंह बैठा—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है, यह एक ग्रामीण कच्ची सड़क है जो ढाई मील लंबी है ।

(३) अर्थाभाव के कारण इस सड़क का पक्कीकरण करना संभव नहीं है ।

पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई

१७०७। **श्री टीकाराम मांझी**—क्या मंत्री, सामुदायिक विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सिंहभूम जिला पर्षद् के प्रशाखा पदाधिकारियों द्वारा विपत्र का प्रेषण सहायक अभियंता के कार्यालय में नहीं हो कर सीधे जिला अभियन्ता के कार्यालय में होता है;

(२) क्या यह बात सही है कि अधीक्षण अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, राँची ने अपने अर्द्ध-सरकारी पत्र सं०-२५३८ दिनांक ३१-१०-७२ द्वारा प्रशासक जिला पर्षद् को वैसे विपत्रों का जिसकी जाँच सहायक अभियंता द्वारा नहीं की गयी है, भुगतान नहीं करने का आदेश दिया है;

(३) क्या यह बात सही है कि प्रशासक, जिला पर्षद् सिंहभूम ने अपने पत्रांक ८८६ दिनांक ३-११-७२ एवं पत्रांक १०२५ दिनांक २१-१२-७२ द्वारा सभी प्रशाखा

पदाधिकारियों को विपत्र सहायक अभियंता के माध्यम से प्रेषण करने एवं अनुपालन नहीं होने पर उचित कार्रवाई किये जाने का आदेश दिया है;

(४) क्या यह बात सही है कि स्थानीय स्वायत्त शासन अधिसूचना सं-९७२० दिनांक १५-९-१९३० के अनुसार सहायक अभियंता द्वारा विपत्रों की जाँच होना आवश्यक है;

(५) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की दिशा में कबतक कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

श्री नरसिंह बैठा—(१) ऐसा सभी विपत्रों के बारे में नहीं हुआ है।

प्राप्त सूचना के आधार पर तीन वर्षों के अन्दर ३० प्रतिशत विपत्र सहायक अभियंताओं द्वारा जाँच किया गया है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(४) इस अधिसूचना के अनुसार सभी विपत्रों की जाँच सहायक अभियंता द्वारा किया जाना आवश्यक नहीं है। अधिसूचना की उद्धृत प्रति संलग्न है।

(५) सरकार के तरफ से एक आदेश जा रहा है कि सभी विपत्र सहायक अभियंता के माध्यम से जिला अभियंता को जाँय।

आवासों में समान सुविधा दिलाना

१७१०। **श्री रामाश्रय राय**—क्या मंत्री, सामुदायिक विकास, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि चम्पारण जिला अन्तर्गत अवस्थित रक्सौल प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी के लिए समान ढंग से दो अलग-अलग भवन बने हैं।

(२) प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं चिकित्सा पदाधिकारी के उक्त सरकारी आवासों में क्रमशः किनने बिजली के पंखे, कितने बल्ब और कितने फरनिचर अलग-अलग से हैं तथा सरकार दोनों आवासों में समान सुविधा दिलाने की दिशा में कब तक कौन सी कार्रवाई करने का विचार करती है ?

श्री नरसिंह बैठा—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।